

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 47/2025 अपील (GCMS 2025/47)

पंजीयन दिनांक- 22/04/2025

निर्णय दिनांक- 26/11/2025

1. श्री नीरज पिता प्रेमशंकर सनाढ्य, निवासी कमल तलाई, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
2. श्रीनाथ इंटर प्राईजेज, पंजीकृत भागीदार फर्म 24, ग्राउण्ड फ्लोर, सुरभि कॉम्प्लेक्स, जलचक्की नाथद्वारा रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद जरिये भागीदार श्री महेश कुमार एवं श्री शंकरलाल।

-रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:-

1. श्री कमलेश चौहान/श्री मुकेश तलेसरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पों. सं. 1
3. श्री हेमंत सेजु - अधिवक्ता रेस्पों. सं. 1

प्रकरण संख्या - 129/2025 अपील (GCMS 2025/129)

पंजीयन दिनांक- 01/07/2025

निर्णय दिनांक- 26/11/2025

1. श्रीनाथ इंटर प्राईजेज, पंजीकृत भागीदारी फर्म, 24 ग्राउण्ड फ्लोर, सुरभि कॉम्प्लेक्स, जलचक्की नाथद्वारा रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद जरिये भागीदार श्री महेश कुमार एवं श्री शंकरलाल।

-अपीलांट्स

**बनाम**

1. श्री नीरज पिता प्रेमशंकर सनाढ्य, निवासी कमल तलाई, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

-रेस्पोंडेंट्स

उपस्थिति:-

1. श्री मनीष शर्मा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कमलेश चौहान/श्री मुकेश तलेसरा - अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध, जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या 08/2024 निर्णय दिनांक 24.02.2025

### निर्णय

दिनांक 26/11/2025

अपीलांट्स द्वारा यह उक्त अपीलें अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या 08/2024 निर्णय दिनांक 24.02.2025 के विरुद्ध (अपील संख्या 47/2025) दिनांक 16.04.2025 को प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ पेश की तथा (अपील संख्या 129/2025) दिनांक 26.06.2025 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश मय शपथ पत्र तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इन प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री नीरज सनाढ्य द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 408 निर्णय दिनांक 27.12.2023 के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म द्वारा किया हुआ है तथा फर्म द्वारा प्रकरण में वर्णित संपत्ति को क्रय किया गया है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 2 भागीदारी फर्म से वर्णित भूमि में से 4/23 वां हिस्सा अर्थात् 0.2529 हैक्टेयर भूमि 6,00,000/- छः लाख रूपये प्रतिफल पर क्रय कर कब्जा आधिपत्य प्राप्त किया एवं भूमि के विक्रय के अनुसरण में फर्म से अपने पक्ष में विधिवत विक्रय विलेख निष्पादित

करा कार्यालय उप पंजीयक, नाथद्वारा के यहां पर पंजीकृत करवाया गया है। विक्रय विलेख पंजीकृत होने के पश्चात उक्त भूमि का विधिवत नामांतरकरण स्वीकृत कराने के लिए राजस्व विभाग में विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई, जिस पर उक्त भूमि का नामांतरकरण दिनांक 04.12.2023 को भरा गया तथा नामांतरकरण भरने के पश्चात दिनांक 11.12.2023 को पटवारी द्वारा इस पर यह नोट अंकित किया कि विक्रीत खाते में कंपनी के नाम के साथ भागीदारों के नाम होकर एक खातेदार अनुसूचित जाति से है तथा क्रेता सामान्य जाति से है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकते हैं, नामांतरकरण खारिज योग्य है कि रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपनी टिप्पणी के साथ नामांतरकरण खारिज योग्य की रिपोर्ट पेश की गई। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतरकरण अस्वीकृत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलांत की अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 406 आदेश दिनांक 27.12.2023 अपास्त फरमाया जावें एवं विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में विधिवत नामांतरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावें। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2024 निर्णय दिनांक 24.02.2025 से अपीलांत की अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांत द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- *"उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा के द्वारा दिनांक 27.12.2023 को पारित नामांतरकरण आदेश यथावत रखा जाता है। प्रकरण राजस्थान काश्तकारी*

*अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होने से तहसीलदार, नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। “*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.11.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म द्वारा किया हुआ है तथा फर्म द्वारा प्रकरण में वर्णित संपत्ति को क्रय किया गया है। अपीलांट ने रेस्पोंडेंट संख्या 2 भागीदारी फर्म से वर्णित भूमि में से 4/23 वां हिस्सा अर्थात् 0.2529 हैक्टेयर भूमि 6,00,000/- छः लाख रूपये प्रतिफल पर क्रय कर कब्जा आधिपत्य प्राप्त किया एवं भूमि के विक्रय के अनुसरण में फर्म से अपने पक्ष में विधिवत विक्रय विलेख निष्पादित करा कार्यालय उप पंजीयक, नाथद्वारा के यहां पर पंजीकृत करवाया गया है। विक्रय विलेख पंजीकृत होने के पश्चात उक्त भूमि का विधिवत नामांतरकरण स्वीकृत कराने के लिए राजस्व विभाग में विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई, जिस पर उक्त भूमि का नामांतरकरण दिनांक 04.12.2023 को भरा गया तथा नामांतरकरण भरने के पश्चात दिनांक 11.12.2023 को पटवारी द्वारा इस पर यह नोट अंकित किया कि विक्रीत खाते में कंपनी के नाम के साथ भागीदारों के नाम होकर एक खातेदार अनुसूचित जाति से है तथा क्रेता सामान्य जाति से है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकते है। नामांतरकरण खारिज योग्य है कि रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपनी टिप्पणी के साथ नामांतरकरण खारिज योग्य की रिपोर्ट पेश की गई। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार द्वारा उक्त नामांतरकरण अस्वीकृत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश तथ्यों एवं विधि के

विपरीत होने से अपास्त होने योग्य था। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये एवं सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया, जो खारिज होने योग्य था। अपीलांट ने उक्त भूमि पंजीकृत भागीदार फर्म से क्रय की है। कानूनन कोई कंपनी, फर्म, संस्था ट्रस्ट आदि की कोई जाति नहीं होती है, इनका केवल कानूनी अस्तित्व होता है। जाति तो केवल मुनष्य की होती है, जो जीवित एवं मृत रहता है, जबकि कंपनी एवं फर्म संस्था का पंजीयन होने पर उसका विघटन होने पर समापन होता है। उपरोक्त कानूनी परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में फर्म को व्यक्ति मानकर जाति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण अस्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अवगत कराया किया कि उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को किसी भी पंजीबद्ध कंपनी, फर्म का निदेशक एवं भागीदार बनाने में कोई कानूनन प्रतिबद्धता नहीं है तथा ऐसी कोई प्रतिबद्धता की भी जाती है, तो यह उन व्यक्तियों के सवैधानिक अधिकारों का हनन है। राजस्व रेकार्ड एवं पंजीयन प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित है कि विक्रेता भागीदारी फर्म होकर फर्म कंपनी कानूनन ज्यूरिस्ट पर्सन के रूप में माने जाते है, जो कि सामान्य संवर्ग में आते है, न कि अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति के रूप में माने जा सकते है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 341, 342 में अनुसूचित जाति व जनजाति को दर्शाया गया है तथा धारा 42बी के प्रावधान व्यक्ति विशेष के लिए लागू होते है। कंपनी, भागीदारी फर्म व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आती है, बल्कि ज्यूरिस्ट पर्सन की परिभाषा में आती है, क्योंकि कंपनी फर्म का पृथक से विधिक अस्तित्व होने से वह ज्यूरिस्ट पर्सन है। इसी परिपेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी की वैद्यता को प्रश्नचिन्ह किया गया है कि कंपनी के पक्ष में किया गया अंतरण प्रतिबंधित नहीं है। नामांतरकरण स्वीकृत करने की अधिकारित ग्राम पंचायत को है, तहसीलदार को नहीं है, नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा निर्णित कर त्रुटि कारित की है। जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय में अपील को अस्वीकृत करने का जो आधार लिया है, वह भी न्यायोचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 19.11.2005 के परिपत्र का उल्लेख अपने न्यायिक निर्णय राजस्थान राज्य

बनाम आन्जनेय आर्गेनिक हरबल में करते हुए कंपनी के पक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति द्वारा किये गये अंतरण के आधार पर नामांतरकरण अस्वीकृत करने में प्रतिबद्धता होना सही माना है। अपीलांत द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 2012 (2) RRT 1279, 2012 (1) RRT 460, 2012 (1) RRT 466, RRT 2006 292, 294, हवाला प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त नामांतरकरण संख्या 406 अपास्त किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2023 के आधार पर विधिवत नामांतरकरण अपीलांत के नाम पर स्वीकृत कर अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलांत से हमने प्रतिफल प्राप्त कर भूमि का विक्रय अपीलांत के पक्ष में निष्पादित किया एवं विक्रयशुदा भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा भूमि के विक्रय की पुष्टि स्वरूप विक्रय पत्र का पंजीयन अपीलांत के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीयन करा दिया। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने में रेस्पोंडेंट को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा दिनांक 24.02.2025 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अपील के साथ अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है और न्यायहित हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 08/2024 निर्णय दिनांक 24.02.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त दोनो अपील प्रकरण में विवाद बिन्दु समान होने के कारण इस न्यायालय के (शीर्षक वर्णित) प्रकरण संख्या 47/2025 एवं 129/2025 का निस्तारण इसी निर्णय से पारित किया जा रहा है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 408 निर्णय दिनांक 27.12.2023 के विरुद्ध पेश की गई। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2024 निर्णय दिनांक 24.02.2025 से अपीलांत की अपील अस्वीकार कर खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांत द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में यह सुस्पष्ट मैसर्स श्रीनाथ इंटर प्राईजेज, 24 ग्राउण्ड फ्लोर, सुरभि कॉम्प्लेक्स, कांकरोली, जरिये भागीदार श्री महेश कुमार पिता प्रेमशंकर सनाढ्य व श्री शंकरलाल पिता लालुराम बैरवा द्वारा राजस्व ग्राम उलपुरा, मगरा पाछला में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 442 रकबा 0.4679 हैक्टेयर व आराजी संख्या 443 रकबा 0.9864 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4543 हैक्टेयर भूमि में से 4/23 हिस्सा अपीलांत नीरज सनाढ्य को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किये जाने से उक्त कृषि भूमि का नामांतरकरण 406 विक्रेता श्रीनाथ इंटर प्राईजेज 24 ग्राउण्ड फ्लोर, सुरभि कॉम्प्लेक्स, कांकरोली, जरिये भागीदार श्री महेश कुमार पिता प्रेमशंकर सनाढ्य व श्री शंकरलाल पिता लालुराम बैरवा के बजाय विक्रित 4/23 हिस्सा क्रेता नीरज सनाढ्य के नाम पटवारी हल्का, उथनोल द्वारा दर्ज किया जाकर नामांतरकरण पर यह रिपोर्ट अंकित की गई कि विक्रित खाते में कंपनी के नाम के साथ भागीदार के नाम होकर एक खातेदार अनुसूचित जाति से है, जिसकी जाति बैरवा है, जबकि क्रेता की जाति सामान्य सनाढ्य है। नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन सामान्य जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकते हैं। अतः नामांतरकरण खारिज योग्य है तथा संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी

इसकी पुष्टि करने से तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्यचा 406 खारिज किया गया।

प्रकरण में अब हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 को उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

**42. General restrictions on sale, gift and bequest—** The sale, gift or bequest by a Khatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if—

(a) **Omitted.**

(b) such sale, gift or bequest is by a member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe.

[(bb) such sale, gift or bequest, notwithstanding anything contained in clause (b), is by a member of Saharia Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia tribe.]

(c) **Omitted.**

”राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के नियम (b) अनुसार ऐसी बिक्री, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या अनुसूचित जनजाती के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।“ अतः उक्त अधिनियम की धारा 42 के परिपेक्ष्य में ऐसा विक्रय अवैध है।

इसके अतिरिक्त शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 19.11.2005 से निर्देशित किया

गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि का अंतरण केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि का अंतरण केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही किया जा सकता है तथा स्पष्ट किया जाता है कि:-

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा किसी फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं की जा सकती, चाहे उक्त फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था का भागीदार या अध्यक्ष या निदेशक अनुसूचित जानी/अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति क्यों न हो।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय किया जाता है, जो किसी फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था का पदाधिकारी हो तो नामांतरकरण पंजीयन के आधार पर उस व्यक्ति विशेष क्रेता के नाम जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, ही खोला जा सकेगा, न कि उस फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था, जिसका वह पदाधिकारी या सदस्य है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में निष्पादित विक्रय पत्र लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण उप पंजीयक द्वारा उसका पंजीकरण नहीं किया जायेगा तथा यदि कोई पंजीकरण कर भी दिया गया हो तो नामांतरकरण खोलने की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अतः उक्तानुसार उक्त परिपत्र एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ही अंतरित की जा सकती है तथा नियमों में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा क्रय की गई भूमि यदि वह क्रेता किसी फर्म/सोसायटी/कंपनी/विधिक संस्था का पदाधिकारी हो तो नामांतरकरण पंजीयन के आधार पर उस व्यक्ति विशेष क्रेता के नाम जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, ही खोला जा सकेगा।

ऐसा अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा अनुसूचित जाति के अलावा अन्य को किया गया अंतरण अवैध है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांत गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के निर्णय दिनांक 24.02.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सी. आर. देवासी)  
अति. संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)  
अति. संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर